अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर (71/2023) उनवान सांवरलाल बनाम कन्हैयालाल

1. सांवरलाल जाट पुत्र बालुराम जाट निवासी हरडा की ढाणी ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

–वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र जतनलाल
2. कमल पुत्र जतनलाल
3. सुरेन्द्र पुत्र जतनलाल
4. सुरेखा पुत्री जतनलाल
5. सुशीला पत्नि जतनलाल
6. जगदीश पुत्र गोरूलाल
7. रतनलाल पुत्र भूरालाल सर्व जाति ब्राह्मण
8. शंकरलाल पुत्र बालूराम चौधरी जाति जाट
   सर्व निवासी हरडा की ढाणी ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

–प्रतिवादीगण

• अन्तिम डिक्री वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, राज.का. अधि. 1955•
मुकदमा नम्बर (71/2023) उनवान सांवरलाल बनाम कन्हैयालाल

निर्णय दिनांक 21.06.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:57 IST
Reason: SelfAttested

• अन्तिम डिक्री •

वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के सम्बंध में जारी [illegible] आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.03.2024 के क्रम में मौका कमिश्नर तहसीलदार ... द्वारा ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर स्थित भूमि खसरा संख्या 37, 87 कुल किता 02 कुल रकबा 4.1906 हैक्टयर भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला ... अराई(अजमेर)

1-5

सहायक कलक्टर
अरांई

…ा गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अतः …रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है, उक्त बंटवारे में कमीशनर रिपोर्ट एवम् संलग्न …चित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। बैंक का रहन यदि संबंधित काश्तकार द्वारा जमा नहीं करवाया गया है तो वह उसके हिस्से तक पूर्व अनुसार रहेगा। तहसीलदार अरांई द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री की जाकर वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है–

क.सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	किस्म	लगान	रंग
1.	कन्हैयालाल, कमल, सुरेन्द्र पुत्र जतनलाल हिस्सा 3/15 रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ढसूक, सुशीला पत्नी जतनलाल हिस्सा 1/15 रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ढसूक, सुरेखा पुत्री जतनलाल हिस्सा 1/15 बिनारहन सर्व जाति ब्राह्मण सा देह खातेदार, जगदीश पुत्र गोरूलाल हिस्सा 1/3, रतनलाल पुत्र भूरालाल हिस्सा 1/3 सा देह खातेदार	37 87/1	0.5663 हैक्टैयर 2.5767 हैक्टेयर	चाही डोल 0.0081 हैक्टेयर तथा चाही 01 0.5582 हैक्टेयर बंजर 02	–	हरा
	कुल किता 02		कुल रकबा 3.1430 हैक्टेयर			
2.	शंकरलाल चौधरी , सांवरलाल चौधरी पुत्र बालूराम हिस्सा बराबर जाति जाट हरडा की ढाणी सा. देह खातेदार	87/2	1.0476 हैक्टैयर	बंजर 02 रकबा 0.6836 हैक्टैयर एवं बारानी 03 रकबा 0.3640 हैक्टेयर	1.0476 हैक्टैयर	नीला
	कुल किता 01		कुल रकबा 1.0476 हैक्टेयर			

… आज दिनांक 21/06/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
अराई (अजमेर)

सहायक कलक्टर
अराई

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर अराई (अजमेर)

मुकदमा नम्बर (71/2023) उनवान सांवरलाल बनाम कन्हैयालाल

1. सांवरलाल जाट पुत्र बालुराम जाट निवासी हरडा की ढाणी ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र जतनलाल
2. कमल पुत्र जतनलाल
3. सुरेन्द्र पुत्र जतनलाल
4. सुरेखा पुत्री जतनलाल
5. सुशीला पत्नि जतनलाल
6. जगदीश पुत्र गोरूलाल
7. रतनलाल पुत्र भूरालाल सर्व जाति ब्राह्मण
8. शंकरलाल पुत्र बालूराम चौधरी जाति जाट

   सर्व निवासी हरडा की ढाणी ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 21/06/2024

उपस्थित : वकील वादी व वकील प्रतिवादी दौराने बहस

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामवतार शर्मा ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राज.का.अधि.1955 के [illegible] कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम [illegible] हल्का ढसूक स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 37 व 87 {अनुसार जमाबन्दी [illegible] स्थायी} है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर आराजीयात का हक हिस्सानुसार बटवारा कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज हैं किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का तकासमा नहीं करवाना चाहा तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अराई

र कर दिया गया इसीलिये यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। श्रीमान से दन है कि आराजीयात मुतदाविया खसरा संख्या 37 रकबा 0.5663 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 87 रकबा 3.6243 हैक्टैयर कुल किता 02 कुल रकबा 4.1906 हैक्टैयर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार तकासमा फरमाया जावे तथा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 08 को उनका हिस्सा खसरा संख्या 87 के पूर्वी तरफ अलग दिलवाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 07 को उनका हिस्सा मौके पर काबिज अनुसार खसरा संख्या 87 के पश्चिम में व 37 में संपूर्ण में दिलवाया जावे।

2. वादी का वाद दिनांक 21.12.2023 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गयी जो कि 29.12.2023 तक प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा प्रकरण में सहमति का जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा सहमति जवाबदावे में निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर भूमि को बांट रखा है तथा उसी के अनुसार काश्त करते चले आ रहें है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 08 का जो हिस्सा है वह खसरा संख्या 37 व 87 का जो चक बना हुआ है उसके पूर्वी तरफ का है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का हिस्सा पश्चिम की तरफ है उसी के अनुसार बंटवारा कर दिया जावे।

3. प्रकरण में बावजूद तलबी के प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 09.02.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 से 07 तथा 09, 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 22.03.2024 को वकील वादी हाजिर हुये तथा उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते अर्जेन्ट सुनवाई बाबत पेश करने से पत्रावली नियत तिथी से पूर्व तलब की गई, तथा वकील वादी की प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। प्रकरण में दिनांक 28.03.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसके क्रम में तहसीलदार अरांई द्वारा दिनांक 31.05.2024 को बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया।

4. दिनांक 14.06.2024 को बंटवारा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें वकील वादी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वादअधीन भूमि ग्राम ढसूक तहसील अरांई स्थित भूमि खसरा संख्या 37, 87 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाता है। बैंक का रहन यदि संबंधित काश्तकार द्वारा जमा नहीं करवाया गया है तो वह पूर्वअनुसार रहेगा। तहसीलदार अरांई द्वारा पेश बंटवारा प्रस्ताव व संलग्न मानचित्र अन्तिम आदेश का एक भाग होगा। तदनुसार तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

क.सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	किस्म	लगान	रंग
1.	कन्हैयालाल, कमल, सुरेन्द्र पुत्र जतनलाल हिस्सा 3/15 रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ढसूक, सुशीला पत्नी जतनलाल हिस्सा 1/15 रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ढसूक, सुरेखा पुत्री जतनलाल हिस्सा 1/15 बिनारहन सर्व जाति ब्राह्मण सा देह खातेदार, जगदीश पुत्र गोरूलाल हिस्सा 1/3, रतनलाल पुत्र भूरालाल हिस्सा 1/3 सा देह खातेदार	37 87/1	0.5663 हैक्टैयर [illegible]5767 हैक्टेयर	चाही डोल 0.0081 हैक्टेयर तथा चाही 01 0.5582 हैक्टेयर बंजर 02	–	हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अरांई

कुल किता 02			कुल रकबा 3.1430 हैक्टेयर			
	शंकरलाल चौधरी , सांवरलाल चौधरी पुत्र बालूराम हिस्सा बराबर जाति जाट हरडा की ढाणी सा. देह खातेदार	87/2	1.0476 हैक्टैयर	बंजर 02 रकबा 0.6836 हैक्टैयर एवं बारानी 03 रकबा 0.3640 हैक्टेयर	1.0476 हैक्टैयर	नीला
कुल किता 01			कुल रकबा 1.0476 हैक्टेयर			

आदेश आज दिनांक 21/06/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर व मुहर के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफतर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर
अराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:57 IST
Reason: SelfAttested